

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे साम्ना उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- मन्दावा पटवारी गण्डल- ९६/११७

पूर्व इन्दाज				संशुद्ध किया गया नया इन्दाज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा ई	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा ई
1	2	3	4	5	6	7
		930	1-8100		930	0-8100
		930	0-800		930	1-8100
		931	0-6900		931	0-6900
	930	930/1109	931	930/1109	930	931

N
D
S

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

क्रमांक : ५१७७/१५५
प्रतिलिपि पालनाथ :-

दिनांक : 21/4/2022

1. तहसीलदार डीडवाना।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

क्रमांक : ५१७७
प्रतिलिपि पालनाथ :-

दिनांक :

1. पटवारी हल्का _____ को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

११/११/११



११/११/११
११/११/११-११/११/११
११/११/११-११/११/११-११/११/११